20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES 10रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

297

I/निगरानी/पन्ना/भू-रा/2017/2116

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी क्रमांक /2017

1. उर्फ बाबूलाल बल्लू पिता स्व0 रामदयाल ओमरे उम्र 55 साल

2. रामकिशोर पिता स्व0 श्री रामदयाल ओमरे उम्र 60 साल

सभी निवासी मोहल्ला धाम पन्ना तहसील व जिला पन्ना म0प्र0 निगरानीकर्तागण

बनाम्

1. कली उर्फ रामकली पत्नी सव0 श्री बुद्धू लाल ओमरे

निवासी धाम मोहल्ला पन्ना तह0 व जिला पन्ना म0प्र0 उत्तरार्थी

श्री रजनी अधिवक्ता द्वारा आज दि. 6/7/17 को प्रस्तुत

6/7/17

R.V. Sharma 6/7/17

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महोदय पन्ना जिला पन्ना म0प्र0 द्वारा अपील प्र0 क्र0 46/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 25.9.2012 के विरूद्ध जिसमें 5 वर्षो के पश्चात् निगरानीकर्तागण की मॉ श्रीमती भागवती ओमरे का नाम एकपक्षीय रूप से वादग्रस्त आराजी से विलोपित किया गया ।

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959.

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित विनय करते हैं :-

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण की मॉ श्रीमती भागवती ओमरे पुत्री स्व0 श्री सुखलाल ओमरे थी उनके दो भाई श्री सेवाचरण ओमरे एवं बुद्धू लाल ओमरे थे भाई सेवा चरण ओमरे का स्वर्गवास अप्रेल 1999 को हो गया था जबकि दूसरे भाई बुद्धू लाल ओमरे का स्वर्गवास मार्च 2007 में हो गया था । मॉ भागवती का स्वर्गवास जुलाई 2012 में बीमारी के कारण हो गया था । इन लोगों के संयुक्त स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 141, 142, 143 कुल किता 3 कुल रकवा 1.962

बाबूलाल ओमरे रामकिशोर ओमरे

<u>**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./पन्ना/भू.रा./2017/2116

<u>**बल्लू उर्फ बाबूलाल व अन्य विरूद्ध कली उर्फ राममली**</u>

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एवं अनावेदक अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित। 3. आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) पन्ना, जिला-पन्ना के प्रकरण क्रमांक 46/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 25-09-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-07-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-पन्ना के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

6. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.2019
सदस्य